(1)

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

प्रेस विज्ञप्ति
सूचना

मेसर्स सासामूसा सुगर वर्क्स प्रा० लि०, सासामूसा, गोपालगंज का पुनः परिचालन के निमित उस क्षेत्र के गन्ना कृषकों के पूर्ववर्ती पेराई सत्रों का बकाये ईख मूल्य मूलधन की कुल राशि मो० 42,99,09,095.00 (बयालीस करोड़ निनानबे लाख नौ हजार पनचानबे) रूपये का भुगतान होगा, जिससे सासामूसा चीनी मिल के क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगा एवं रोजगार सृजित होंगे।

3/06/16

(धर्मेन्द्र सिंह)
सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

2 1

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

प्रेस नोट

विकसित भारत– रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत– जी राम जी) योजना, बिहार, 2026 की स्वीकृति एवं इस योजना को दिनांक 01.07.2026 से लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई हैं ।

विकसित भारत– रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत– जी राम जी) योजना बिहार, 2026 अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की विस्तारित सांविधिक मजदूरी रोजगार गारंटी प्रदान करना है । यह योजना राज्य के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू होगी । इसका मुख्य लक्ष्य विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है ।

प्रधान सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार, पटना ।

3

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
प्रेस नोट

डकरानाला पम्प नहर योजना एक उद्वह सिंचाई योजना है जो मुंगेर जिलान्तर्गत गंगा नदी एवं डकरानाला के मिलन बिन्दु पर खगड़ही ग्राम के निकट अवस्थित है। योजना अंतर्गत गंगा नदी के समीप पम्प हाउस एवं नहरों का निर्माण कार्य कराया जाना है। इस योजना के क्रियान्वयन से लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा एवं मुंगेर जिला के मुंगेर सदर, जमालपुर एवं धरहरा प्रखंड के 3284 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी।

इस योजना के लिए विभागीय पत्रांक 1350 दिनांक 03.07.2023 द्वारा 145.43 करोड़ रुपये के लिए मूल प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

इस योजना के अंतर्गत पम्प हाउस का निर्माण कार्य, भैट का निर्माण कार्य, डकरानाला मुख्य नहर का 0.00 से 7.62 कि०मी० तक पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य, फरदा वितरणी का 0.00 से 13.20 कि०मी० तक पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य कराया जाना है।

योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना के क्रियान्वयन के क्रम में वास्तविक स्थलीय स्थिति के अनुसार पम्प हाउस, डिलीवरी भैट, पी०सी०सी० लाईनिग एवं अन्य संरचनाओं का सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित विस्तृत रूपांकण एवं नक्शा के अनुरूप कार्य कराने तथा नहर के एलाईनमेंट पर अवस्थित वृक्षों के पातन/विस्थापन एवं बिजली पोलों के विस्थापन हेतु राशि का प्रावधान, कार्यान्वयन के दौरान डिवाटरिंग का प्रावधान तथा लेबर सेस पर जी०एस०टी० का प्रावधान किये जाने के कारण योजना के लागत राशि 145.43 करोड़ रुपये से बढ़कर 251.55 करोड़ रुपये हो गयी है।

योजना को माह जून, 2027 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

(चन्द्रशेखर सिंह)
सचिव

4

प्रेस नोट

बाढ़ प्रबंधन एवं सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम के तहत् स्वीकृत/प्रस्तावित योजनाओं में केन्द्रांश की प्रत्याशा में विभाग द्वारा कराये गये कार्यों/कराये जाने वाले कार्यों के भुगतान हेतु सी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026–27 में बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के केन्द्रांश मद, विपत्र कोड 49–4711010510209 के बजटीय उपबंध रु0 801.32 करोड़ (आठ सौ एक करोड़ बत्तीस लाख रुपये) का पचास प्रतिशत अर्थात रु0 400.66 करोड़ (चार सौ करोड़ छियासठ लाख रुपये) एवं भू–अर्जन मद, विपत्र कोड 49–4711010500201 के बजटीय उपबंध रु0 250.00 करोड़ (दो सौ पचास करोड़ रुपये) तथा सीमा क्षेत्र में नदी प्रबंधन गतिविधि एवं कार्य के केन्द्रांश मद, विपत्र कोड 49–4711010510212 के बजटीय उपबंध रु0 240.00 करोड़ (दो सौ चालीस करोड़ रुपये) का पचास प्रतिशत अर्थात रु0 120.00 करोड़ (एक सौ बीस करोड़ रुपये) का उपयोग एवं निकासी व्ययन की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ प्रबंधन एवं सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम के बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम अवयव के तहत् वृहद तटबंध निर्माण/उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण, बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य आदि कार्यों का कार्यान्वयन कराया जाता हे। इसी प्रकार सीमा क्षेत्र में नदी प्रबंधन गतिविधि एवं कार्य के तहत् नेपाल प्रभाग में कराये जाने वाले बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का कार्यान्वयन कराया जाता है। वर्तमान प्रस्ताव के स्वीकृति के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया एवं बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम में योजनाओं को शामिल करने की जटिल प्रक्रिया के कारण केन्द्रांश की प्रतिपूर्ति बाधित होने की स्थिति में भी योजनाओं का ससमय कार्यान्वयन प्रभावित नहीं होगा एवं बाढ़ जैसी आपदा में त्वरित एवं ससमय कार्य पूरा होगा। इससे जान–माल की क्षति को न्यून किया जा सकेगा।

(चन्द्रशेखर सिंह)
सचिव,
जल संसाधन विभाग, पटना

5

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
प्रेस नोट

सिंधवारणी जलाशय योजना मुंगेर जिला के खड़गपुर प्रखंड अंतर्गत वर्तमान खड़गपुर झील जलाशय से करीब 1.50 कि०मी० अपस्ट्रीम में मनी नदी एवं सिंधवारणी नदी के संगम स्थल पर अवस्थित है। योजना अंतर्गत मनी नदी एवं सिंधवारणी नदी के संगम स्थल पर गेटेड वीयर का निर्माण एवं इससे निकलने वाली उच्चस्तरीय मुख्य नहर की कुल लम्बाई 9.66 कि०मी० में पुनर्स्थापन कार्य कराया जाना है। इस योजना के क्रियान्वयन से करीब 150 वर्ष पुराने खड़गपुर जलाशय को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही प्रस्तावित उच्चस्तरीय मुख्य नहर से अतिरिक्त 671 हे० क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी जिससे मुंगेर जिला के खड़गपुर, टेटियाबम्बर, संग्रामपुर प्रखंडों के कृषक लाभाविन्त होंगे।

इस योजना के लिए विभागीय पत्रांक 1351 दिनांक 03.07.2023 द्वारा 125.8212 करोड़ रुपये के लिए मूल प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना के क्रियान्वयन के क्रम में वास्तविक स्थलीय स्थिति के अनुरूप गेटेड वीयर, शीर्ष नियामक, एवं अन्य संरचनाओं का सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित विस्तृत रूपांकण एवं नक्शा के अनुरूप कार्य कराने, 12.26 हेक्टेयर वन भूमि अपयोजन एवं विद्युत पोल विस्थापन हेतु राशि, डिवाटरिंग मद में राशि का प्रावधान किये जाने के कारण योजना के लागत लागत राशि 125.8212 करोड़ रुपये से बढ़कर 196.8944 करोड़ रुपये हो गयी है।

योजना के अवशेष कार्यो को माह दिसंबर, 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(चन्द्रशेखर सिंह)
सचिव

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) बिहारशरीफ I&D and STP निर्माण परियोजना हेतु लागत राशि रू० 101,63,33,464/– (एक सौ एक करोड़ तिरसठ लाख तैंतीस हजार चार सौ चौसठ रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बिहारशरीफ I&D and STP निर्माण परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य :– बिहारशरीफ I&D and STP निर्माण परियोजना में 17 MLD का STP, 8.38 कि0मी0 I&D नेटवर्क, 2 मध्यवर्ती पम्पिंग स्टेशन एवं 4.349 कि0मी0 राइजिंग मेन का कार्य किया जायेगा, जिससे बिहारशरीफ शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जल–जमाव प्रबंधन एवं सीवरेज ट्रीटमेंट की सुविधा प्राप्त होगी।

(विनय कुमार),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) हाजीपुर जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रू० 131,88,40,241/– (एक सौ इकतीस करोड़ अठासी लाख चालीस हजार दो सौ इकतालिस रू०) की **प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।**

हाजीपुर जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य :– हाजीपुर जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत 19436 गृह जल संयोजन हेतु 7 ट्यूबवेल, 7 क्लोरीनेटर प्रणाली के साथ पम्प हाउस, 6 जलमीनार, 6 जलमीनार कैम्पस, 2.30 कि0मी0 राइजिंग मेन एवं 212.70 कि0मी0 जल वितरण नेटवर्क का कार्य किया जायेगा, जिससे हाजीपुर शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जलापूर्ति सुविधा प्राप्त होगी।

(विनय कुमार),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) बेगूसराय सिवरेज नेटवर्क एवं **STP** निर्माण परियोजना हेतु लागत राशि रू० 375,86,61,872/– (तीन सौ पचहत्तर करोड़ छियासी लाख एकसठ हजार आठ सौ बहत्तर रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

बेगूसराय सिवरेज नेटवर्क एवं STP निर्माण परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य :– बेगूसराय सिवरेज नेटवर्क एवं STP निर्माण परियोजना में 16 वार्डो के 26700 गृह को सिवरेज नेटवर्क से जोड़ने के लिए 13 MLD का STP, 154 कि0मी0 सिवरेज नेटवर्क, 9 मध्यवर्ती पम्पिंग स्टेशन एवं 11.667 कि0मी0 राइजिंग मेन का कार्य किया जायेगा, जिससे बेगूसराय शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को सिवरेज नेटवर्क की सुविधा प्राप्त होगी।

(विनय कुमार),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

(9)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) सहरसा जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रू० 127,45,52,059/– (एक सौ सत्ताईस करोड़ पैंतालीस लाख बावन हजार उनसठ रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

सहरसा जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यः– सहरसा जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत 17454 गृह जल संयोजन हेतु 12 ट्यूब्वेल, 12 क्लोरीनेटर प्रणाली के साथ पम्प हाउस, 8 Iron Removal Plant, 8 जलमीनार, 8 जलमीनार कैम्पस, 4.400 कि0मी0 राइजिंग मेन एवं 186.49 कि0मी0 जल वितरण नेटवर्क का कार्य किया जायेगा, जिससे सहरसा शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जलापूर्ति सुविधा प्राप्त होगी।

(विनय कुमार),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

प्रेस नोट

10

15 वर्ष से पुराने सरकारी वाहनों को निबंधित यान स्क्रैपिंग सुविधा – Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) के माध्यम से स्क्रैप किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा जारी SOP के अनुसार COD (Certificate of Deposit) निर्गत किया जाना प्रावधानित है। उक्त COD के आधार पर समकक्ष नये वाहनों के निबंधन में मोटरवाहन कर में अनुमान्य छूट दिये जाने का प्रावधान था।

उपर्युक्त पर सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 15 वर्ष से पुराने सरकारी वाहनों को निबंधित यान स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) के माध्यम से स्क्रैप किये जाने पर SOP के अनुसार निर्गत COD (Certificate of Deposit) पर नये वाहनों के निबंधन में अनुमान्य मोटरवाहन कर में छूट में लाभ देय नहीं है। इसलिए उक्त कंडिका को विलोपित किया जाता है।

(राज कुमार)
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

गैर सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए निर्गत SOP के आलोक में निबंधित यान स्क्रैपिंग सुविधा – Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) के माध्यम से वाहन को स्क्रैप कराने पर COD (Certificate of Deposit) निर्गत किया जाना प्रावधानित है। उक्त COD के आधार पर समकक्ष नये वाहनों के निबंधन में मोटरवाहन कर में छूट दिये जाने का प्रावधान था।

COD के आधार पर समकक्ष नये वाहनों के निबंधन में मोटरवाहन कर में छूट दिये जाने का प्रावधान होने के कारण गैर सरकारी वाहनों को स्क्रैप किये जाने के उपरांत नये वाहनों के करों में छूट दिये जाने में कठिनाई हो रही थी।

उपर्युक्त पर सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि गैर सरकारी वाहनों के स्क्रैप किये जाने के विरूद्ध निर्गत COD के आधार पर नये वाहनों के निबंधन में मोटरवाहन कर में निर्धारित छूट दिया जायेगा। इससे अधिक से अधिक संख्या में गैर सरकारी वाहनों को स्क्रैप किये जाने एवं नये वाहनों के क्रय को प्रोत्साहित किया जा सकेगा तथा वाहनजनित प्रदूषण को कम किया जा सकेगा।

(राज कुमार)
सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
प्रेस नोट

श्री मणिरंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर सम्प्रति अवर निबंधक, सहायक निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया के विरूद्ध विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना द्वारा दर्ज प्राथमिकी से संबंधित जब्ती सूची एवं अन्य कागजात के अनुसार कुल 64,24,621/-(चौसठ लाख चौबीस हजार छः सौ इक्कीस) रूपये नगद एवं 16,62,460/-(सोलह लाख बासठ हजार चार सौ साठ) रूपये के सोने एवं चाँदी के जेवरात बरामद किया गया तथा 1,87,46,986/-(एक करोड़ सत्तासी लाख छियालीस हजार नौ सौ छियासी) रूपये की चल-अचल सम्पत्ति आकलित की गयी। इस प्रकार श्री मणिरंजन के विरूद्ध 1,62,36,926/-(एक करोड़ बासठ लाख छतीस हजार नौ सौ छब्बीस) रूपये के अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-12 r/w 13(1)(b) r/w 13(2) एवं आई.पी.सी. की धारा-120 (बी0) के अधीन प्राथमिकी सं0-06/2021 दिनांक 16.12.2021 दर्ज किया गया है। उक्त मामले में श्री मणिरंजन के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-2792 दिनांक-02.06.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी। जाँच आयुक्त से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर श्री मणिरंजन का आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधानों के प्रतिकूल रहने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथासंशोधित नियमावली 2007 के नियम-14 (xi) के तहत् सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति।

2. राज्य सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिये कटिबद्ध है। मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के फलस्वरूप भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मियों के विरूद्ध नियमानुसार दण्ड अधिरोपित होगा एवं भ्रष्टाचार पर नियंत्रण स्थापित हो सकेगा।

(अजय यादव)
सरकार के सचिव।

E:\maniranjan\maniranjan\Press Note.doc

(13)

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)
प्रेस नोट

केन्द्र प्रायोजित योजना डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (डी0आई0एल0आर0एम0पी0) एवं राज्य सरकार द्वारा बजट सत्र वित्तीय वर्ष 2025–26 में की गयी घोषणा के आलोक में निबंधन की प्रक्रिया को राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में पूर्णतः पेपरलेस किये जाने हेतु "बिहार निबंधन नियमावली, 2026" की स्वीकृति के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–22.04.2026 को मद संख्या–1 एवं बिहार स्टाम्प (सेवा प्रदाता अनुज्ञप्ति एवं ई–स्टाम्प की आपूर्ति) नियमावली, 2026 के गठन हेतु मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 29.04.2026 मद सं0–50 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

पेपरलेस निबंधन की प्रक्रिया के लिए ई–स्टाम्प कोड की बिक्री एवं निबंधन से संबंधित अन्य कार्यों यथा–ई–फाईलिंग के द्वारा दस्तावेज तैयार करने, दस्तावेजों पर पक्षकारों एवं गवाहों का ई–साईन प्राप्त करने हेतु सेवा प्रदाता को अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने का प्रावधान बिहार स्टाम्प (सेवा प्रदाता अनुज्ञप्ति एवं ई–स्टाम्प की आपूर्ति) नियमावली, 2026 में किया गया है।

बिहार स्टाम्प (सेवा प्रदाता अनुज्ञप्ति एवं ई–स्टाम्प की आपूर्ति) नियमावली, 2026 के नियम–12 के प्रावधानो के तहत सेवा प्रदाता के लिए अधिकतम क्रेडिट सीमा रू0– 10,00,000/–(दस लाख) मात्र निर्धारित किया गया है एवं नियम–13 में कमीशन को सेवा शुल्क से प्रतिस्थापित किया गया है।

प्रस्तावित बिहार स्टाम्प (सेवा प्रदाता अनुज्ञप्ति एवं ई–स्टाम्प की आपूर्ति) (संशोधन) नियमावली, 2026 लागू होने के पश्चात् कमीशन का वहन सरकार द्वारा नहीं किया जायेगा, जिससे कि राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। साथ ही, पक्षकार को भी किसी भी मूल्य तक का स्टाम्प प्राप्त करने की सुविधा होगी, जिससे राजस्व में भी वृद्धि होने की संभावना है।

(अजय यादव)
सरकार के सचिव

14

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

प्रेस नोट

केन्द्र प्रायोजित योजना 'जल जीवन मिशन 2.0' के अंतर्गत् पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding (MoU)) पर हस्ताक्षर हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रस्तावित है। MoU के पश्चात् जल जीवन मिशन के तहत् क्रियान्वित जलापूर्ति योजनाओं का गहन अनुश्रवण, गुणवत्तापूर्ण संपादन, जलगुणवता अनुश्रवण एवं बेहतर रख–रखाव सुनिश्चित की जायेगी।

Rajesh K.
05/6/2026.
(राजेश कुमार)
प्रधान सचिव

प्रेस नोट

विभागीय अधिसूचना संख्या–4579, दिनांक–08.11.2011 द्वारा अधिसूचित "बिहार वाणिज्य–कर विभाग क्षेत्रीय लिपिक सेवा भर्त्ती/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2011" के नियम–9 के उप–नियम (5) को "इस संवर्ग के लिये लिखित परीक्षा का विषय बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इंटरमीडियट आधारित परीक्षाओं के लिये निर्धारित मापदंड के अनुसार" से प्रतिस्थापित करने से वाणिज्य–कर विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के निम्नवर्गीय लिपिक की अधियाची पदों को बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्त्तमान में निकाली गयी इन्टरस्तरीय विज्ञापन में सम्मिलित कर लिया जायेगा। जिससे उक्त पदों पर भर्त्ती की प्रक्रिया में तेजी आयेगी एवं बिहार के रोजगार सृजन में वृद्धि होगी।

(संजय कुमार सिंह)
राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
वित्त विभाग

:: प्रेस नोट ::

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) द्वारा "Bihar SNA-SPARSH for Just-in-time payments (BIHAR SNA-SPARSH)" सॉफ्टवेयर के विकास/अनुकूलन, परीक्षण, संवर्धन, रखरखाव, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण एवं कार्यान्वयन हेतु मनोनयन के आधार पर अगले दो वर्षों के लिए ₹5,75,39,000 (पाँच करोड़ पचहत्तर लाख उनतालीस हजार रूपये) मात्र व्यय की स्वीकृति का निर्णय लिया गया है।

(सचिव),
वित्त विभाग।

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

प्रेस नोट

राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था 'नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट लि॰' (NCEL) हेतु राज्य में कार्यरत सहकारी संस्था को नामित किया जाना है। राज्य में सहकारी समितियों एवं उनके सदस्यो द्वारा उत्पादित वस्तुओ एवं सेवाओं के संग्रहण, भण्डारण, प्रसंस्करण, परिवहन, वितरण एवं विपणन के उद्देश्य से बिहार राज्य विपणन सहकारी फेडरेशन लि॰ का गठन किया जा रहा है, जिसके गठन एवं पुर्ण रूपेण कार्य प्रारंभ करने तक, बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन लि॰ (BISCOMAUN) को नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट लि॰ (NCEL) के साथ MoU हस्ताक्षरित करने के लिए राज्य नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किये जाने का प्रस्ताव है। NCEL, बिस्कोमान के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों तक बिहार की सहकारी क्षेत्र में उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं के अधिशेष के निर्यात का कार्य करेगी, जिससे न केवल दुनिया भर में बिहार की सहकारी वस्तुओं एवं सेवाओं की माँग बढ़ेगी, बल्कि उन वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए प्रीमियम कीमत भी प्राप्त होगी। NCEL निर्यात के इस उच्च कीमत से अर्जित लाभ को अपने सदस्य सहकारी समितियों को उनके शेयर पर लाभांश और किसानों को उनसे खरीदे गये वस्तुओं के अंतिम मूल्य के रूप में वितरित करेगी।

(धर्मेन्द्र सिंह)
सरकार के सचिव,
सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

प्रेस नोट

राज्य में **रबी 2026–27 मौसम** से केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित **"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)"** को कार्यान्वित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। यह योजना राज्य में खरीफ 2018 मौसम से कार्यान्वित बिहार राज्य फसल सहायता योजना का स्थान लेगी। "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" (PMFBY) के तहत बीमित किसानों के कृषि लागत के समतुल्य फसल क्षति का भुगतान सुनिश्चित होगा। साथ ही इस योजनान्तर्गत बीमित भूमि का कोई अधिसीमा नहीं होने के कारण राज्य के बड़े जोत वाले किसानों को भी उनके बीमित भूमि के समतुल्य फसल क्षति का लाभ होगा।

(धर्मेन्द्र सिंह)
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग

प्रेस नोट

राज्य सरकार के सभी विभागों/निगमों/निकायों/बोर्डों इत्यादि में क्रियान्वित ई–क्रय 2.0 प्रणाली से संबंधित निविदा शुल्क में पुनरीक्षण एवं अंतर्राष्ट्रीय निविदाकारों हेतु निविदा शुल्क के निर्धारण की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य सरकार ने निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने, निविदा निष्पादन में विलंब की समस्या को दूर करने, अभिलेखों में छेड़छाड़ की संभावनाओं को समाप्त करने तथा क्रय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से विभागीय संकल्प संख्या–सह–ज्ञापांक–752 दिनांक 21.08.2020 के द्वारा ई–क्रय 2.0 प्रणाली लागू किया गया। ई–निविदा के विभिन्न शीर्षों के विरूद्ध प्राप्त किये जाने वाले शुल्कों की राशि का निर्धारण किया गया।

ई.–क्रय (e-Procurement) प्रणाली का क्रियान्वयन नोडल एजेन्सी बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि०, पटना के द्वारा किया जा रहा है। वर्त्तमान में राज्य के सभी खरीदारी हेतु 131 से अधिक विभाग, निगम, निकाय एवं बोर्ड आदि सरकारी संस्थानों में ई–क्रय प्रणाली (e-Tendering / e-procurement system) लागू है। चूँकि वर्त्तमान शुल्क प्रणाली के आधार पर प्राप्त राशि विगत 5 वर्षों से चली आ रही है जो अल्प है। अतएव शुल्क पुनरीक्षण की आवश्यकता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

(क) निविदा निष्पादन शुल्क (TPF) :

क्र० सं०	निविदा मूल्य	वर्त्तमान शुल्क	पुनरीक्षित शुल्क
1.	70 लाख तक	रु० 500.00 + टैक्स	रु० 1000.00 + टैक्स
2.	70 लाख–3 करोड़ तक	रु० 3000.00 + टैक्स	रु० 5,000.00 + टैक्स
3.	3 करोड़ से अधिक	रु० 5,000.00 + टैक्स	रु० 10,000.00 + टैक्स

(ख) निविदाकार निबंधन शुल्क (राष्ट्रीय स्तर) :

क्र० सं०	निबंधन का प्रकार	वर्त्तमान शुल्क	पुनरीक्षित शुल्क
1.	नया	रु० 1,000.00 + टैक्स	रु० 2,000.00 + टैक्स
2.	नवीकरण	रु० 500.00 + टैक्स	रु० 1,000.00 + टैक्स

(ग) निविदाकार निबंधन शुल्क (अंतर्राष्ट्रीय स्तर) :

क्र० सं०	निबंधन का प्रकार	शुल्क
1.	नया	रु० 15,000.00 + टैक्स
2.	नवीकरण	रु० 5,000.00 + टैक्स

(घ) अंतर्राष्ट्रीय निविदाकारों हेतु निष्पादन शुल्क :

क्र० सं०	निविदा का प्रकार	शुल्क
1.	अंतर्राष्ट्रीय	रु० 25,000.00 + टैक्स

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

20

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग
प्रेस नोट

विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–663 दिनांक 28.04.2026 के द्वारा आई०आई०टी० पटना रिसर्च पार्क की स्थापना हेतु राज्य सरकार की ओर से आई०आई०टी० पटना को सहायक अनुदान की कुल राशि ₹ 305,00,00,000.00 (तीन सौ पाँच करोड़) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया है,

उक्त स्वीकृत्यादेश के कंडिका–15 में यह उल्लेखित है कि योजना का क्रियान्वयन आई०आई०टी० पटना के द्वारा किया जायेगा। चूँकि रिसर्च पार्क के निर्माण की राशि का वहन सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा किया जाएगा। अतः इसका निर्माण भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार से कराया जाना अपेक्षित है।

वर्णित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आई०आई०टी० पटना रिसर्च पार्क के निर्माण कार्य का कार्यान्वयन भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं सम्पूर्ण योजना का संचालन एवं प्रबंधन आई०आई०टी० पटना के द्वारा किये जाने की स्वीकृति प्रदान किया गया है।

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग
प्रेस नोट

विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-664 दिनांक 28.04.2026 के द्वारा इन्क्यूबेशन सेंटर आई०आई०टी० पटना फेज-2 के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार की ओर से आई०आई०टी० पटना को सहायक अनुदान की कुल राशि ₹ 39,01,00,000.00 (उनचालीस करोड़ एक लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया।

उक्त स्वीकृत्यादेश के कंडिका-8 में यह उल्लेखित है कि योजना का क्रियान्वयन आई०आई०टी० पटना के द्वारा किया जायेगा। चुँकि इन्क्यूबेशन सेंटर आई०आई०टी० पटना फेज-2 योजना की राशि का वहन सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा किया जाएगा। अतः कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल का निर्माण भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार से कराया जाना अपेक्षित है।

वर्णित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इन्क्यूबेशन सेंटर आई०आई०टी० पटना फेज-2 योजनान्तर्गत कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल का कार्यान्वयन भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना तथा सम्पूर्ण योजना का संचालन एवं प्रबंधन आई०आई०टी० पटना के द्वारा किये जाने की स्वीकृति प्रदान किया गया है।

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

22

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

प्रेस नोट

राज्य सरकार द्वारा छः सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, यथा– इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के पेंशनधारियों को रू0 1100/– (एक हजार एक सौ रूपये) मासिक भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से की जाती है। राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में इन पेंशनधारियों को प्रत्येक माह की 10वीं तारीख को मासिक पेंशन भुगतान किया जाना है।

सभी छः पेंशन योजनाओं के पेंशनधारियों को माह मई, जून एवं जुलाई, 2026 के पेंशन भुगतान हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से रू0 366209.97 लाख (तीन हजार छः सौ बासठ करोड़ नौ लाख सनतानवे हजार रुपये) अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(एच0आर0 श्रीनिवास)
अपर मुख्य सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

23 03/70

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
प्रेस नोट

वर्तमान में राज्य के नैदानिक स्थापनों को नियंत्रित करने के लिए बिहार राज्य नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2013 प्रभावी है।

2. उपर्युक्त नियमावली सम्पूर्ण बिहार राज्य के सभी नैदानिक स्थापनों (01–40 बेड के अस्पतालों को छोड़कर) पर लागू है। साथ हीं उक्त नियमावली के अधीन नैदानिक स्थापनों को स्थायी/अस्थायी निबंधन हेतु आवेदन एवं निबंधन प्रमाण–पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया ऑफलाईन माध्यम से किया जाता है।

3. नियमावली के उक्त प्रावधान के कारण यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि बिना बेड वाले ओ०पी०डी० क्लिनिक्स/डिस्पेंसरी/डेंटल क्लिनिक्स/डायग्नोस्टिक सेवा आदि के संदर्भ में यह नियमावली प्रासंगिक है अथवा नहीं, जबकि भारत सरकार के कतिपय योजना (यथा–आयुष्मान भारत योजना) का लाभ प्राप्त करने हेतु किसी भी नैदानिक स्थापन को राज्य सरकार के नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2013 के अन्तर्गत निबंधित होना अनिवार्य है।

4. वर्त्तमान में Deregulation and Compliance Reduction (Phase-2) से संबंधित प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत PA-19-To Simplify Medical Practitoners Registration/NOC across States and PA-20 (Appoint Single Nodal Agency for all Healthcare Specific Licences) के आलोक में नैदानिक स्थापनों को निबंधन प्राप्त करने से संबंधित सभी प्रक्रिया एकल नोडल एजेंसी (एस०एन०ए०) के केन्द्रीकृत डिजिटल पोर्टल के माध्यम से किया जाना है।

5. यहाँ यह अंकणीय है कि राज्य के 01–40 बेड या बिना बेड वाले ओ०पी०डी० क्लिनिक्स/डिस्पेंसरी/डेंटल क्लिनिक्स/डायग्नोस्टिक सेवा आदि के लिए अलग से विनियमावली बिहार लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान (स्थापना एवं पंजीकरण) विनियम 2026 गठित है।

6. अतः उक्त वर्णित स्थिति में बिहार नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2013 के नियम–1(2), 20(1), 20(2) एवं 23(1) में आवश्यक संशोधन किया जाना तथा इस नियमावली में नियम–24(10) एवं 27(7) को जोड़ा जाना आवश्यक है। साथ हीं किसी भी नैदानिक स्थापना को एक से अधिक नियम/विनियम के अन्तर्गत निबंधित होने की आवश्यकता नहीं हो इसके लिए नियमावली में नियम–1(4) के रूप में नया प्रावधान अन्तः स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।

7. उक्त संशोधनों के उपरांत बिहार नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2013 राज्य के 40 शय्या (बेड) से ऊपर के सभी नैदानिक स्थापनों पर लागू होगा। साथ हीं इस नियमावली के तहत अपना पंजीकरण करवाने वाले नैदानिक स्थापना को राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित किसी अन्य नियम/विनियम के अधीन पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा नैदानिक स्थापनों को पंजीकरण Single Nodal Agency के केन्द्रीकृत डिजिटल पोंटल के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

8. अतः उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2013 में संशोधन हेतु बिहार नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) संशोधन) नियमावली, 2026 को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

विशेष सचिव।

565(18)
05.06.2026

24 66/70

बिहार सरकार
उद्योग विभाग।

संचिका संख्या–04 तक0/नीति संशोधन/07/2020

प्रेस नोट

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा 10 के अंतर्गत राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) सचिवालय को एकल नोडल एजेंसी के रूप में प्राधिकृत करने, इससे संबंधित विभागों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति एवं क्लियरेंस हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के निर्धारण के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद को प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई है।

इससे बहु–एजेंसी विनियामक व्यवस्था के कारण वर्तमान प्रशासनिक जटिलताएं दूर होगी तथा परियोजनाओं का समयवद्ध क्रियान्वयन हो सकेगा। प्रतिनियुक्त अधिकारियों का औद्योगिक विकास आयुक्त के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण, अनुशासनिक अधीनता एवं पर्यवेक्षण से त्वरित क्लियरेंस की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। क्लियरेंस जारी करने हेतु औद्योगिक विकास आयुक्त द्वारा आवश्यकता अनुसार विभागों एवं वैधानिक निकायों के सक्षम नोडल अधिकारियों को शामिल या उपवर्जित करने के संबंध में प्रतिनियुक्तियों के औपचारिक आदेश जारी किया जा सकेगा। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा व्यापक मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार किया जाएगा।

(कुन्दन कुमार)
सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
राजस्व एमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

राज्य के भू–धारियों/रैयतों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिकोण से भूमि संबंधी मामलों का त्वरित एवं पारदर्शितापूर्ण निष्पादन की कार्रवाई सुनिश्चित करना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की प्राथमिकता में शामिल है। वर्त्तमान में राज्य में रैयती भूमि/भू–खण्डों की मापी की कार्रवाई बिहार काश्तकारी नियमावली, 1885 के नियम–23 के प्रावधानों के तहत ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदन के आधार पर सशुल्क अंचल कार्यालय द्वारा निष्पादित किया जाता है।

बिहार एक लोक कल्याणकारी राज्य है। राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समय–समय पर राजस्व में वृद्धि समय की माँग है। वर्त्तमान प्रावधानित मापी शुल्क अपेक्षाकृत कम है। जिसमें बढ़ोतरी किया जाना आवश्यक है।

बढ़ोतरी उपरान्त नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र में अवस्थित रैयती जमीन की मापी हेतु प्रति खेसरा ₹2000/– एवं अधिकतम ₹8000/–, ग्रामीण क्षेत्र में प्रति खेसरा ₹1000/– एवं अधिकतम ₹4000/– मापी शुल्क निर्धारित किया जा सकेगा।

शहरी क्षेत्र में तत्काल मापी हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में प्रति खेसरा ₹4000/– एवं अधिकतम ₹16000/– मापी शुल्क निर्धारित किया जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र में तत्काल मापी हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में प्रति खेसरा ₹2000/– एवं अधिकतम ₹8000/–मापी शुल्क निर्धारित किया जा सकेगा।

(जय सिंह),
सचिव।